/C

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 145203 पटना, दिनांक 11-04-2013

प्रेषक, ग्रा०वि० 7(आ)-16/2013

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- मनरेगा अंतर्गत ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के संबंध में ।

महाशय,

मनरेगा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण को अनुमान्य किया गया है ।

2. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर योजना Convergence विषय पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत प्रति पंचायत प्रतिवर्ष एक ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण करवाया जाना है ।

अनुरोध है कि तदनुसार अग्रेतर आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

10/4

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर योजना Convergence एवं प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों / आवासों के सुदृढ़ीकरण हेतु दिनांक 13.03.13 की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- अनुलग्नक के अनुसार ।

ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण :- मनरेगा के अंतर्गत ऑंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण अनुमान्य किया गया है । ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की प्राक्कलित राशि लगभग 6 लाख रूपये है जिसमें सामग्री घटक, श्रम घटक की तुलना में काफी अधिक है जबकि मनरेगा में यह अनुपात पंचायत स्तर पर 40:60 होना चाहिए । तदनुसार ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण मनरेगा के साथ अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधि यथा 13वें वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आदि के साथ Convergence कर करने के बिन्दु पर यह बैठक आयोजित की गई । विचार-विमर्शोपरांत यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न स्रोतों से राशि समेकित करके व्यवहारिक तौर पर Convergence करना संभव नहीं है । अत: तदनुसार विभिन्न स्रोतों से निधि समेकन की बजाय अलग-अलग स्रोतों से ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अलग-अलग योजना के रूप में किया जाय।

2. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में कुल 91,677 स्वीकृत ऑंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से 8,178 का अपना भवन है । विभिन्न विकास कार्यक्रमों में कुल 10,739 भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है । अभी 72,707 ऑंगनबाड़ी केन्द्र बिना भवन के हैं ।

3. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा बताया गया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान की राशि से ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए अब तक 2367 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है, जिससे 44,462 भवनों का निर्माण कार्य हो सकेगा । आने वाले वर्षों में भी चरणबद्ध तरीके से पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त राशि दी जाएगी । इसके अलावा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से भी ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा ।

4. तदनुसार सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि मनरेगा के अंतर्गत प्रति पंचायत प्रतिवर्ष एक ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण पूर्णत: मनरेगा से वित्त पोषित करके ही कराया जाय ताकि 5 वर्षों में लगभग 40,000 ऑंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य मनरेगा के अंतर्गत हो सके । विभिन्न कार्यक्रमों की निधि संग्रहित करके Convergence की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी ।

पंचायत सरकार भवनों एवं मनरेगा भवनों का निर्माण :- मनरेगा के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मनरेगा भवनों का निर्माण अनुमान्य है । कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा भवन का निर्माण कार्य चल रहा है । पंचायती राज विभाग द्वारा सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाना है जिसमें प्रथम चरण में 1000 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है । पंचायत सरकार भवन का एक हिस्सा अतिथि गृह है, जिसे मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा भवन के रूप में बनाया जा सकता है । लेकिन ये समाहरण अगले चरण में जो पंचायत सरकार भवन बनने हैं, उन्हीं पर लागू होगा । इस हेतु पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग समुचित समन्वय करेंगे । जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन या मनरेगा भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, वे यथावत बिना किसी समाहरण के चलते रहेंगे । प्रखंड स्तरीय मनरेगा भवन मनरेगा के प्रावधानों के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय में बनाया जाय ।

प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासों का रखरखाव :- यह निर्णय लिया गया कि इन भवनों की वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मती का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु ग्रामीण विकास विभाग एक अलग योजना बनाकर समुचित वित्तीय प्रावधान करायेगा । जिला स्तर पर इन भवनों की अलग प्राथमिकता सूची होगी, जिसका निर्धारण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा । चूँकि कई भवन एवं आवासीय परिसरों मरम्मती योग्य नहीं हैं, उस दृष्टिकोण से आवश्यक न्यूनतम मरम्मती का ही प्रावधान रखा जाएगा ।

प्रखंड आधारभूत ढाँचा का सुदृढ़ीकरण :- सभी 534 प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसरों का नव निर्माण कराया जाए । इस हेतु एक योजना बनायी जाय, जिसमें 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष लगभग 100 प्रखंडों के मानक प्राक्कलन पर नव निर्माण का प्रावधान रहे । इसके लिए निधि RIDF या अन्य स्रोत से व्यवस्था की जाएगी । प्राथमिकता क्रम में सर्वप्रथम भवनहीन एवं नव सृजित प्रखंडों को आच्छादित किया जाय । तदोपरांत वैसे प्रखंडों को आच्छादित किया जाय, जिनके भवन ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गये हैं और अंतिम वर्षों में वैसे प्रखंडों को आच्छादित किया जाय, जिनके भवन सामान्यतः उपयोग लायक हैं ।

ह0/-

(ए. के. सिन्हा)

मुख्य सचिव

ज्ञापांक 144415 **पटना / दिनांक** 04-04-2013

ग्रा0वि07(आ)-16/2013

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

3.4.13

(मिथिलेश कुमार सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक 144415 पटना / दिनांक 04-04-2013

ग्रा0वि07(आ)-16/2013

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग / प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग / सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.4.13

(मिथिलेश कुमार सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक 144415 पटना / दिनांक 04-04-2013

ग्रा0वि07(आ)-16/2013

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / सचिव / आयुक्त, मनरेगा के प्रधान आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी-3, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.4.13

(मिथिलेश कुमार सिंह)

अपर सचिव